

गु0न0

48/19

न्यायालय उप तहसीलदार तहसील सिंधाना जिला झुन्नुनु

किस्म गु0

रजनु दिनांक

निर्णय दिनांक

धारा 91

18.7.19

06.08.19

उन्वान सरकार वनाग सुगेर पुत्र गंगेज सिंह जाति राजपुत नि0 कुठानिया तहसील बुहाना जिला झुन्नुनु

निर्णय

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिकमी अनुपस्थित। मागला संक्षिप्त में इस प्रकार है कि पटवारी ने सम्वत 2076 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि ग्राम कुठानिया की राजकीय भूमि गै0गु0 बाना ख0न0 215 स्वता 0.20 किस्म गै0गु0 बाना में से 0.02 है0 भूमि पर अतिकमी सुगेर पुत्र गंगेज सिंह जाति राजपुत नि0 कुठानिय तहसील बुहाना ने अवैध रूप से वाजरा कशत कर अनाधिकृत अतिकमण किया गया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मागला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिकमी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलव किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अतिकमी अनुपस्थित।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/सबुत का गहनता से गवन् किया गया। अतिकमी द्वारा किया गया अतिकमी जो कालिज नियमन नहीं है। ना ही नियमों के अनुरूप है। अतः उक्त अतिकमी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिकमी घोषित किया जाता है। व जैर तहस रिपोर्ट पटवारी पर से वेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

अतिकमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये वाजरा की फसल कर के दण्ड स्वरूप अतिकमण शुदा भूमि के लगान 0.13 की 50 गुणा जुर्माना राशि 7 /- रु वतौर शारित कायम किये जाते है।

तहसील राजस्व लेखाकार/भू0अ0नि0/पटवारी हल्का को वास्ते जमा कायगी/वेदखली/ वसुली/ कर राशि राज कोष में जमा करवाने हेतु लिखा जावे। भू0 अ0नि0 को राजकीय भूमि से अतिकमीत भूमि से वास्तविक रूप से वेदखल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली वाद तकमील तागिल दाखिल दफतर हो तथा नगतर से कम होकर दर्ज कैराला हो।

आज दिनांक 06.08.19 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

नायब तहसीलदार

पत्रावली व शं मुठ नं 29
नं 29 पर नं 7 नं 7
के कायम को

ड. दशरथ सिंघाना